बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि0,

निबंधित कार्यालय, विधुत भवन, बेली रोड, पटना

संकल्प संख्या–T-I/Alleg-EEE-36007/14 109 पटना, दिनांक– 31/1/15

श्री जनार्दन पासवान, विधुत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल कहलगॉव के विरूद्ध कम्पनी के आदेश की अवहेलना, कर्त्तव्यहीनता एवं लापरवाही के प्रथम द्रब्ट्या प्रमाणित आरोप के लिए कम्पनी के संकल्प सं0 469 दिनांक 20–06–14 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई तथा उक्त संकल्प के कम में संकल्प सं0 698 दिनांक 18–09–14 द्वारा श्री कृपा नारायण सिंह, मुख्य अभियंता, संचरण (ओ0 एण्ड एम0), बिहार स्टेट पावर ट्रॉन्समिशन कम्पनी लि0, पटना को जॉच पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

जॉच पदाधिकारी ने अपने पत्रांक 304 दिनांक 18–12–14 के द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया, जिसमें उन्होंने आरोपी के विरूद्ध आरोप पत्र में वर्णित सभी आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया।

जॉच पदाधिकारी द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन, आरोपी के लिखित बयान एवं उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर मामले की सम्यक समीक्षा की गई एवं समीक्षोपरांत श्री जनार्दन पासवान को चेतावनी के साथ विभागीय कार्यवाही समाप्त करने का निर्णय लिया गयां है।

तदनुसार श्री जनार्दन पासवान, विधुत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, कहलगॉव को भविष्य में सचेत रहने की चेतावनी दी जाती है।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की हस्ताक्षरित प्रति श्री जनार्दन पासवान, विधुत कार्यपालक अभियंता, संचरण प्रमंडल, कहलगॉव को हस्तगत कराई जाए।

आदेश से

ह0/–
(के0 बी0 के0 साहनी)
उपमहाप्रबंधक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)